



75



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर  
III/निगरानी/रीवा/भू.सं/2018/1738  
प्रकरण क्रमांक/निगरानी/ /2018

प्रतीप शिवारतन  
13-3-18

20-3-18  
10/11/18  
13-3-18

शंकर प्रसाद पिता रामनिहोर निवासी ग्राम  
पडरिया तहसील रायपुर कुर्च. जिला रीवा  
(म.प्र.)

..... आवेदक

बनाम

1. देववती पुत्री सिया अवतार पत्नी श्री  
राजमणी निवासी ग्राम पडरिया तहसील  
रायपुर कुर्च. जिला रीवा(म.प्र.)
2. मुन्नालाल पटेल पिता स्व. शिवमूरत
3. रामगोपाल पटेल पिता स्व. शिवमूरत
4. सूर्यदीन पिता स्व. शिवमूरत
5. चूडामणि पिता स्व. शिवमूरत
6. पीताम्बर पिता स्व. शिवमूरत

..... अनावेदिका

..... तरतीवी अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 विरुद्ध आदेश  
न्यायालय माननीय अनुविभागीय अधिकारी तह. रायपुर कुर्च.  
जिला रीवा (म.प्र.) के न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 3374/  
16-17 में पारित आदेश दिनांक 16.11.17 एवं आगे की  
समस्त आदेश पत्रिकायें।

माननीय महोदय,

आवेदक की निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है :-

भू.सं.  
प्रतीप शिवारतन  
13-3-18

II/विज/रीवा/अ.रा/2018/1738  
आकर प्रसाद/देववती

23/5/18

आवेदक आशुभा मा-पुत्रीय श्रीवास्तव  
उपस्थित/ उनके द्वारा अनुदान दिया  
गया है कि प्रकला को वह आगे बढ़  
—वर्माना—वाहन हय प्रकला नचमान  
के कागज इसी स्तर पर समाप्त किया  
जाता है

आदेश

m